न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण सं0 2025/146

सिविल प्रकरण संख्याः– 27/2025 तारीख रजू 22.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मुकेश कुमार माली पुत्र स्व. श्री प्रहलाद माली (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स– बालाजी डेयरी, बस स्टेण्ड, मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 & 2(v)/58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

दिनांक 10.11.2025

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 23.10.2024 को दोपहर 03.30 पी.एम. पर फर्म बालाजी डेयरी, बस स्टैण्ड, मलारना डूंगर संस्थान पर पहुंचे जो व्यक्ति मिला उसे उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार माली पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद माली फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (लूज) 20 लीटर स्टील की केन में रखा हुआ था। उक्त स्टील की केन में रखे घी (लूज) में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने वास्ते नमूना जांच हेतु 1 लीटर घी (लूज) खरीदकर उनकी कीमत 550/– रूपये विक्रेता मुकेश कुमार माली को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रामकेश सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने खरीदशुदा घी (लूज) को एक स्टील की भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3504** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-3504 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/1226 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4479/एक्ट/2024/4517 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (लूज) Sub-Standard & Contravenes** प्रकृति का होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप पत्रावली अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर मूल पत्रावली मय पत्रांक एफएसएसए/2025/713 दिनांक 19.05.2025 के साथ सुपुर्द की गई । जिस पर उनके द्वारा मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/741 दिनांक 20.05.2025 के [illegible] प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल [illegible] अधिकृत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2025.12.11 10:43:06 IS
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Contravenes खाद्य पदार्थ घी (लूज)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard & Contravenes खाद्य पदार्थ घी (लूज)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(v) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ घी (लूज)** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी गंगापुर से क्रीम लाकर क्रीम गर्म करता है फिर क्रीम की छाछ करता हूं और छाछ से घी बनाता हूं इसमें प्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार के पदार्थ की मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है उक्त दुकान से प्रार्थी का एवं प्रार्थी के परिवार का पालन–पोषण करता है एवं यह घी ही प्रार्थी घर में काम में लेता है। उक्त घी में प्रार्थी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करता है अगर घी के सेम्पल में मिलावट आई है तो प्रार्थी जिन दुकानदारों से क्रीम खरीदता है वह मिलावट करते हों तो प्रार्थी को इस बात का पता नहीं है। भविष्य में प्रार्थी इस प्रकार का घी नहीं बेचेगा। भविष्य में प्रार्थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया जाता है तो आप जो भी जुर्माना प्रार्थी को देंगे प्रार्थी भोगने को तैयार है। अंत में प्रार्थी ने प्रकरण का न्यूनतम शास्ति लगाकर निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4479/एक्ट/2024/4517 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (लूज)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस गलती मानकर न्यूनतम शास्ति लगाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) & 2(v) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ घी (लूज)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.11.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested